छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियिम

चर्चा में क्यों?

राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये **छत्तीसगढ़ सरकार ने नई दुकानें एवं स्थापना अधिनियिम** लागू किया है, जिससे व्यापारियों को अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रखने की अनुमति मिल गई है।

मुख्य बिंदु

- **नई नीति का उद्देश्य:**
  - **छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर सृजित करने** के लिये नई नीति पेश की।
  - हालांकि, यह **नीति शराब की दुकानों पर लागू नहीं होती है।**
- **व्यापारियों के लिये लचीलापन बढ़ा:**
  - इससे पहले, दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था।
  - नई नीति के तहत, व्यापारी अब अनिवार्य साप्ताहिक बंदी के बिना अपनी सुविधानुसार काम कर सकते हैं।
- **श्रमिक कल्याण प्रावधान:**
  - व्यापारियों के लिये लचीलेपन के बावजूद, **प्रत्येक श्रमिक को अनिवार्य रूप से साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिये।**
  - **किसी भी कर्मचारी को प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करने** के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।
  - श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये दुकान मालिकों को **श्रम कल्याण योजनाओं का** अनुपालन करना चाहिये।
- **सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया:**
  - नये नियमों से दुकान पंजीकरण सरल हो गया है।
  - मौजूदा पंजीकृत दुकानों को **बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करनी होगी।**
  - अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किये गए आवेदनों पर नियमों के अनुसार शुल्क लगेगा।

श्रमिक पहचान संख्या (LIN)

- LIN एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो भारत में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत आने वाले **प्रतिष्ठानों को प्रदान की जाती है।**
- यह **श्रम-संबंधी अनुपालन का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखने और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।**
- एलआईएन **श्रम सुविधा पोर्टल से जुड़ा हुआ है, जो** श्रम कानून अनुपालन के प्रबंधन के लिये एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
  - नियोक्ता रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिये LIN का उपयोग कर सकते हैं।
- **यह EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) और DGMS (खान सुरक्षा महानिदेशालय)** सहित विभिन्न प्रवर्तन निकायों के साथ अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है तथा व्यवसायों के लिये अनुपालन की जटिलता को कम करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-shop-and-establishment-act-in-chhattisgarh